

24

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग

संख्या- /XII/2014/90(03)2014

दिनांक देहरादून 17 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-07, के शासनादेश संख्या- 571/XXVii (7)/27/(14) /2012, दिनांक 06 जून, 2013 एवं शासनादेश संख्या- 823/XXVii (7)/27/(20) 2013, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 में दी गयी व्यवस्था के अधीन जिला पंचायतों में नियमित रूप से कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं के वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600 उच्चीकृत/संशोधित करते हुए दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से नोशनली तथा दिनांक 01 मार्च, 2013 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त वेतनमान उच्चीकरण के फलस्वरूप होने वाले व्ययभार का वहन जिला पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु किसी भी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जायेगा। संबंधित जिला पंचायत अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें लागू करेंगे।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 466 /XII/2014/90(03)2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त कुमायू/गढ़वाल मण्डल।
2. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
4. संयुक्त निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

स्वा0 लि0
सं345
21/2/2014

आज्ञा से
(विनोद फोनिया)
सचिव।